| यूको बैंक UCO BANK (A Govt of India Undertaking) | शाखा- डांगावास | बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना (सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत) |
|---|---|---|

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी । यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्द्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अध्यधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्चे देय है। यह कि एतद्द्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **26.03.2018** को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

| खातेदार का नाम व पता | बकाया धनराशि/ मांग सूचना/अधिग्रहण दिनांक | संपत्ति का विवरण/ बंधक सम्पत्ति के मालिक का नाम | आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि | ई-नीलामी की दिनांक व समय |
|---|---|---|---|---|
| रामलाल पुत्र जगदीश साद डेयरी फार्म के पास, मेड़ता- अजमेर रोड़, डांगावास, जिला नागौर। | **6,43,367.32** (ब्याज एवं खर्चे अतिरिक्त)<br>मांग सूचना दिनांक **01.11.2017**<br>अधिग्रहण तिथि **15.01.2018** | श्री रामलाल पुत्र श्री जगदीश साद के नाम से आवासीय भूमि डेयरी के पीछे, हरिजनों का बास- डांगावास, क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट, सीमाएं- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल हरीजन का घर, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः बाड़ा। | **4,50,000/-** (रू. चार लाख पचास हजार मात्र)<br>**45,000/-** (रू. पैंतालिस हजार मात्र)<br>**2,000/-** (रू. दो हजार मात्र) | **26.03.2018** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक |

**स्थानीय स्वशासन को देय राशिः- जो भी बकाया राशि लागू हो।**

**नियम व शर्तेः-** 1. नीलामी बिक्री ऑनलाईन ई-नीलामी जिसमें वेबसाईट https://www.bankeauctionwizard.com के माध्यम से दिनांक 26.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व M/s Antares Systems Limited, संपर्क सूत्रः श्री कुशाल बोस 07686913157, ई-मेलः kushal.b@antaressystems.com/ श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626379, 7709933635, hemant.ps@antaressystems.com, प्रधान कार्यालयः 08049352000/08040482000 के पोर्टल पर पंजीकरण कर लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तो के विस्तृत जानकारी के लिये ईच्छुक बोलीकर्ता वेबसाईट https://www.bankeauctionwizard.com पर देख सकते है तथा संबंधित प्रपत्र डाउनलोड कर सकते है। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नही की जाएगी। 5. बिड निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाईन जमा होगी। 6. ऑनलाईन बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 23.03.2018 सांय 04:00 बजे तक है। 7. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, डांगावास शाखा या ऑनलाईन RTGS/NEFT द्वारा खाता संख्या 27180210000021, IFSC CODE - UCBA0002718 मे जमा करानी होगी। 8. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन, उसी प्रकार से करना होगा जैसा कि उक्त बिन्दू 7 में वर्णित है तथा शेष 75% का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने/पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 9. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार राशि जमा नही कराता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। 10. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 11. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचाराधीन है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा करा देता है तो नीलामी/बिक्री नही की जाएगी। 12. संपत्ति की नीलामी 'जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वामित्व/टैक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो ले। ऑनलाईन बिड जमा कराने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी। 13. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्व सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 14. खरीददार को नियमानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्टॉम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सांविधिक राशि, कर वहन करना होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 15. इच्छुक खरीददार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 23.03.2018 तक बैंक कार्य समय में कर सकते है। 16. यह बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा दशाओं के विषयाधीन है 17. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक अंचल कार्यालय अजमेर से 0145-2622662, 2628552, 7903047401 एवं शाखा प्रबंधक यूको बैंक डांगावास से मो. 7727938705, पर संपर्क किया जा सकता है। 18. यह ऋणकर्ता(ओं)/गारन्टीकर्ता(ओं)/के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटिस है।

**दिनांकः 22.02.2018 स्थानः डांगावास** **प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक**